पहुँचकर बाहर जाने की दर काफी बढ़ जाती है। इस तरह काम करने वालों की दृष्टि से विचार करें तो ग्रामीण नगरीय असमानता जारी रहती है।

शिक्षा और विकास के बीच आनुभाविक संबंधों को विरासत में मिले ढ़ाँचे की कमजोरियों तथा असमानताओं के संदर्भ में देखा गया है। शिक्षा से बेहतर और जल्दी सामाजिक लाभ पाने के लिए यह ढ़ाँचे में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करता है। विकास के साथ जो कि इसके संबंध द्वि–दिशात्मक हैं, अकेली शिक्षा गरीबी की रूकावटों को तोड़ने में असमर्थ है। यद्यपि यह उत्प्रेरक का काम करती है, जो एक तरफ तो गुणवत्ता में सुधार लाकर श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है, दूसरी तरफ यह उत्पादकता, मृत्यु दर तथा आव्रजन पर अपना प्रभाव डालकर यह श्रम की मात्रा को भी कम करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि विकासशील देशों में विकास प्रक्रिया के दौरान जो असमानता पैदा होती है, उस असमानता को दूर करने का यह एक महत्वपूर्ण तथा कारगर हथियार है।

संदर्भ सूची :

1. डी.एम. सिंह एवं अन्य, भारत में शिक्षा का विकास, नवदीप प्रकाशन, पटना, 2005, पृ 132।
2. आइटन, 1971, ए फैक्टर एनालिसिस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन विलेज इंडिया, इकॉनोमिक जर्नल, पृ. 81।
3. आर. एफ. इवेंसन, बी. एम. पॉपकिन एंड ई. के. क्विजोन, 1980, न्यूट्रीशन वर्क एंड डेमोग्राफिक विहेवियर इन रूरल फिलीपीन हाउस होल्ड, एच. पी. विनसेंज तथा अन्य, रूरल हाउसहोल्ड, स्टडीज इन एशिया, सिंगापुर, सिंगापुर यूनिवर्सिटी प्रेस में संकलित।
4. बी. आर. हार्कर, 1974, द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ स्कूलिंग टू एग्रीकलचरल मॉडर्नाइजेशनः एन इंपिरियल एनैलिसिस, पी. फास्टर और जे. आर. शेफील्ड (सं.) द वर्ल्ड इयर बुक ऑफ एजुकेशनः एजुकेशन एंड रूरल डवेलपमेंट में संकलित।
5. जी. मेंडिस, 1981, एजुकेशन इन प्रोसेस ऑफ विलेज डेवलपमेंट, इकॉनोमिक रिव्यू, संख्या–6।
6. एम. नैश, 1965, द रोल ऑफ विलेज स्कूल्स इन द प्रोसेस ऑफ इकॉनोमिक मॉडर्नाइजेशन, सोशल एंड एजुकेशनल स्टडीज, संख्या–14।

भारत छोड़ो आन्दोलन : परिस्थितियाँ एवं महत्त्व

अवकाश कुमार*
विजय कुमार*

जब हमारे भारतवर्ष की पुण्य भूमि अंग्रेजों की दासता की जंजीर में जकड़ी थी, तो इस जंजीर को तोड़ने के लिए बारम्बार देशभक्त सपूतो ने अंग्रेजी हुकूमत के विरूद्ध ईंट से ईंट बजाने का काम किया, उदाहरणार्थ – सन् 1857 ई० का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1920–22 का असहयोग आन्दोलन, खिलाफत आन्दोलन, 1930 ई० में सविनय अवज्ञा आन्दोलन और फिर 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन। बेशक 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन भारत ही नहीं, वरन् विश्व के तमाम आन्दोलन में श्रेष्ठ था क्योंकि यह किसी खास वर्ग या जाति या आयु के लोगों का आन्दोलन न होकर एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन था। 1942 ई० का आन्दोलन पुराने सब प्रयत्नों से ध्येय, नीति निपुणता, संगठन, बलिदान, विस्तार, जनोत्साह आदि सभी बातो में कहीं बढ़ा–चढ़ा था। यदि हम सन् 1942 ई० के आन्दोलन का अध्ययन करें तो क्रांति होने के निम्नलिखित कारण नजर आते हैं :–

1. **क्रिप्स मिशन की असफलता –** क्रिप्स वार्ता असफल हो गयी थी। क्रिप्स के इस कथन ने कि क्रिप्स योजना को 'स्वीकार करो अथवा छोड़ दो', ब्रिटेन की सच्ची मनोवृत्ति को स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार भरत के संवैधानिक गतिरोध को दूर नहीं करना चाहती है। यही नहीं, क्रिप्स महोदय ने क्रिप्स वार्ता की असफलता का समस्त उत्तरदायित्व कांग्रेस पर डाला था। मौलाना आजाद ने अपनी पुस्तक 'India wins Freedom' में लिखा है कि, 'अनेक राजनीतिक दलों के साथ लम्बी वार्ताओं का एक मात्र उद्देश्य संसार के देशों के सामने यह सिद्ध करना था कि कांग्रेस भारत की सच्ची प्रतिनिधि संस्था नहीं है और भारतीयों मे एकता के अभाव के कारण ही ब्रिटेन भारत को सत्ता हस्तान्तरित नहीं कर सकता।'

ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ने जनता में फैली निराशा को दूर करने के लिए एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नया आनदोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया।

***शोधार्थी : इतिहास विभाग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा**
***शोध–निर्देशक : असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग ग्राम भारती कॉलेज, रामगढ़ (कैमूर)**

2. **जापान के आक्रमण का भय** – जापान की सेनाएँ निरन्तर आगे बढ़ रही थीं और भारतीय प्रदेशों को भी खतरा उत्पन्न हो गया था। गाँधी जी ने अनुभव किया कि हम भारत की सुरक्षा उसी स्थिति में कर सकेंगे, जब अंग्रेज भारत छोड़ दें।

3. **युद्ध में ब्रिटिश सरकर की पराजय** – ब्रिटिश सेनाएँ सिंगापुर, मलाया और बर्मा में पराजित हुई थी। गाँधीजी का विचार था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा और हम संकट से बच सकेंगे। गाँधी जी का कहना था कि, 'Leave India to God and if that be too much, leave her to anarchy.'

4. **बर्मा में भारतीयों के साथ भेदभाव** – बर्मा से जो शरणार्थी भारत आये उन्होंने यहाँ आकर बताया कि उनके तथा यूरोपियनों के बीच भेद–भाव किया गया हैं। भारतीयों को आने के लिए पृथक और कष्टदायक रास्ते दिया गया था। गाँधीजी ने मई 1942 में लिखा था कि, 'भारतीय और यूरोपियन शरणार्थियों से व्यवहार में जो भेद किया जा रहा है और सेनाओं का जो बुरा व्यवहार है उससे अंग्रेजो के इरादों और घोषणाओं की तरफ अविश्वास बढ़ रहा है।' इस घटना ने भी गाँधीजी को आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित किया। मि० कणे पं० हृदयनाथ कुँजरू और मि० डाम ने बर्मा में भारतीयों की स्थिति का अवलोकन कर कहा कि, 'भारतीय शरणार्थियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, जैसा वे किसी घटिया जाति से सम्बन्धित हों।'

5. **पूर्वी बंगाल में आतंक का राज्य** – पूर्वी बंगाल में सरकार ने भय और आतंक का राज्य कायम कर रखा था। बहुत से लोगों को बिना मुआवजा दिये उनकी जमीनों से वंचित किया गया। सेना के लिए जिन किसानों के घर खाली कराये गये, उनको भी बहुत कष्ट हुआ। सरकार की तानाशाही के विरोध में आन्दोलन प्रारम्भ करना आवश्यक हो गया था।

6. **आर्थिक असन्तोष** – निराशा के बादल भारतीय क्षितिज पर मंडराने लगे, इसी दौरान जनता के आर्थिक कष्टों में भी वृद्धि हुई। कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। कागज के नोटों के प्रति लोगो का विश्वास समाप्त हो चुका था। देश में चारों ओर असन्तोष का साम्राज्य छाया हुआ था। अतः आर्थिक असन्तोष हिंसक क्रान्ति का रूप ले सकता था।

उपरोक्त कारणों से कांग्रेस ने गाँधीजी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया।

इलाहाबाद में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की बैठक–27 अप्रैल 1942 को काँग्रेस कार्य समिति की एक बैठक इलाहाबाद में हुई। इस बैठक में सरकारी नीतियों के प्रतिक्षोभ व्यक्त किया गया और वर्त्तमान परिस्थितियों में इंगलैण्ड को

युद्ध में सहयोग न देने की बात की गयी। गाँधीजी ने कहा कि भारत की समस्या का एकमात्र हल अंग्रेजों के भारत छोड़ देने में हैं।

वर्धा प्रस्ताव –गाँधीजी ने जो विचार अप्रैल 1942 में इलाहाबाद में रखे थे, उनका समर्थन 14 जुलाई 1942 की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में किया गया, जो कि वर्धा में हुई थी। 14 जुलाई को कांग्रेस की कार्य–समिति ने एक प्रस्ताव इस प्रकार पारित किया 'जो घटनाएँ प्रतिदिन घट रही हैं और भारतवासियों को जो अनुभव हो रहे हैं उनसे कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं की यह धारणा स्पष्ट होती जा रही है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अन्त अतिशीघ्र होना चाहिये।' भारत से ब्रिटिश सत्ता के उठा लेने का प्रस्ताव पेश करने में कांग्रेस की यह इच्छा नहीं कि इससे ब्रिटेन अथवा मित्र राष्ट्रों के युद्ध कार्यों में बाधा पहुँचे या इससे जापान या धुरी समूह के अन्य राष्ट्रों को भारत पर आक्रमण करने या चीन पर दबाव डालने को प्रोत्साहन मिले। इसका उद्देश्य यह भी नहीं था कि भारत के सारे अंग्रेज भारत से चले जाएँ जो भारत में अपना घर बनाकर वहाँ दूसरे के साथ नागरिक और समानाधिकारी बनकर रहना चाहते हैं, यदि यह अपील व्यर्थ गई तो कांग्रेस को अपनी समस्त अंहिसात्मक शक्ति का अनिच्छापूर्वक उपयोग करने को बाध्य होना पड़ेगा। इस प्रकार के व्यापक संघर्ष का नेतृत्व अनिवार्य रूप से गाँधीजी करेंगे।

वर्धा प्रस्ताव के पश्चात् –वर्धा प्रस्ताव के बाद शीघ्र ही आन्दोलन की घोषणा नहीं की, जनता में जागृति उत्पन्न करने और उनके मनोबल को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया गया। 1 अगस्त 1942 में इलाहाबाद में 'तिलक दिवस' के अवसर पर पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि 'हम आग के साथ खेलने जा रहे है। हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। लेकिन हम क्या करें, विवश हैं !' डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने इसी दौरान कहा था कि, 'हमको इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।' सरदार पटेल ने बम्बई में कहा था कि 'इस बार का आन्दोलन थोड़े दिनों का, किन्तु बड़ा ही भयानक होगा।'

इस प्रकार कांग्रेस के उच्च कोटि के नेताओं द्वारा जनता को यह आभास होने लगा कि कांग्रेस की ओर से एक भीषण आन्दोलन चलाने की व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार भी कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया से उदासीन नहीं थे। उसने सम्भावित जन–आन्दोलन को कुचलने का निश्चय कर लिया।

वर्धा प्रस्ताव (14 जुलाई 1942) में यह कहा गया था कि 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय काँग्रेस समिति की बैठक होगी। इस निश्चय के अनुसार 7 अगस्त को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में काँग्रेस कार्य समिति का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। न केवल भारत वरन्

सम्पूर्ण संसार की निगाहें इस अधिवेशन पर लगी हुई थी। भविष्य के इतिहास तथा घटनाओं ने इस अधिवेशन को ऐतिहासिक अधिवेशन की संज्ञा प्रदान की। पंडाल में लगभग 20,000 व्यक्ति थे तथा प्रत्येक प्रांत ने अपने–अपने प्रतिनिधियों का जत्था युद्ध की अंतिम घोषणा सुनने को भेजा था। 8 अगस्त को अत्यन्त विचार–विमर्श के बाद ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया –

'भारत में ब्रिटिश शासन का तत्कालिक अंत भारत के लिए तथा मित्र राष्ट्रों के आदर्श की पूर्त्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है...। इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य, स्वतंत्रता एवं प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है... अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी पूरे आग्रह के साथ ब्रिटिश सत्ता के हटा लिए जाने की माँग को दोहराती है... आधुनिक साम्राज्यवाद का केन्द्र बिंदु भारत अब समस्या का मुख्य विषय बन गया है। ...अंग्रेजों के चले जाने के बाद देश में प्रमुख राजनैतिक दलों तथा वर्गों से एक अस्थायी सरकार का निर्णय किया जायेगा जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सैनिक तथा अहिंसात्मक शक्ति के प्रयोग से विदेशी आक्रमण के विरूद्ध देश की सुरक्षा करना होगा।'

क्योंकि यह आशा की जाती थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर आसानी से नहीं जायेंगे, अतः एक जन–आन्दोलन भी चलाने का निश्चय किया गया, जिसकी तिथि की घोषणा नहीं की गयी थी, क्योंकि गाँधीजी आन्दोलन छेड़ने के पहले एक बार सरकार से अंतिम बार बात कर लेना चाहते थे। महात्मा गाँधी ने समिति के समक्ष 8 अगस्त 1942 की रात में भारत छोड़ो आन्दोलन प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा –

'मैं तो एक ही चीज लेने जा रहा हूँ – आजादी ? नहीं देना है, तो कत्ल करें। मैं वह गाँधी नहीं, जो बीच में कुछ चीज लेकर आ जाएँ। आपको तो मैं एक मंत्र देता हूँ – 'करेंगे या मरेंगे।' जेल को भूल जाएँ सुबह–शाम यही कहें, कि खाता हूँ, पीता हूँ, साँस लेता हूँ, तो गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए। जो मरना जानते हैं, उन्हीं ने जीने की कला जानी है। आज से तय करें कि आजादी लेनी है। नहीं लेनी है, तो मरेंगे। आजादी डरपोकों के लिए नहीं। जिनमें करने की ताकत है, वही जिन्दा रह सकते हैं। हम चीटियाँ नहीं, हम हाथी से भी बड़े हैं, हम शेर हैं।' गाँधीजी ने भारतवासियों को 'करो या मरो' का संदेश दिया अर्थात या तो स्वाधीनता प्राप्त कर लो अथवा मर जाओ, परन्तु उन्होंने सदा यह कहा कि कार्यवाही हिंसात्मक न हो।

अगस्त क्रान्ति और सरकार का दमनचक्र –9 अगस्त को प्रातःकालीन सूर्य के दीदार से पूर्व जहाँ एक ओर बम्बई महानगरवासी गहरी निद्रा में सोये थे, वहीं दूसरी ओर गाँधीजी को नजरबंद तथा अन्य सभी काँग्रेसी नेताओं यथा नेहरूजी,

मौलाना आजाद, पटेलजी, श्रीमती सरोजनी नायडू, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को बन्दी बनाया गया। जेल जाते वक्त गाँधीजी के साथ देश की जनता के लिए तो कुछ था नहीं, सिर्फ एक मंत्र दिया, 'करो या मरो'। गाँधीजी का यह मंत्र जंगल की आग की भाँति समस्त भारत में फैल गया और देश की जनता ने इसे गाँधीजी का आदेश मानकर शिरोधार्य किया तथा सर पर कफन बाँधकर लाखों लोग गाँवों, कस्बों और शहरों में निकल पड़े। क्या करना है ? कोई नहीं जानता है। लेकिन मातृभूमि के लिए अपने आपको उत्सर्ग कर देना है, यह भूत सब पर सवार था। एक अजीब समाँ पूरे देश में पैदा हो गया। हर शख्स नेता बन गया और हर चौराहा करो या मरो का दफ्तर। देश में जगह–जगह रेल की पटरियाँ उखाड़ी गई, ट्रेनें लूटी गई, टेलिफोन के तार नोचे गये, थानों पर कब्जा किया गया। कचहरियाँ वीरान थीं। धुआँधार गोलियाँ चल रही थी। चारों ओर से लोगों की वीरता और प्रशासनिक नृशंसता के ऐसे समाचार मिल रहे थे कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। ज्यों–ज्यों प्रशासन आन्दोलन को दबाने की हिंसात्मक कोशिश करता, त्यों–त्यों आन्दोलनकारी उग्र से उग्रतर होते जाते। यूँ तो यह आन्दोलन अगस्त 1942 से लेकर फरवरी 1943 तक हिंसात्मक रूप में समस्त भारत में चलता रहा, लेकिन उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बंगाल आदि में इसकी तीव्रता कहीं अधिक थी। पटना के नौजवान छात्रों ने तो अपने बलिदान से इतिहास को भी थर्रा दिया।

आन्दोलन की उग्र रूप फरवरी 1943 के सरकारी आँकड़ों से स्पष्ट होता है, जिनमें कहा गया है कि – '1942 के आन्दोलन में पुलिस और सेना द्वारा 538 बार गोलियाँ चलाई गई जिसके फलस्वरूप 950 व्यक्ति मरे और 1,360 घायल हुए। 60,229 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 200 स्टेशन नष्ट कर दिये गये, 550 डाकखानों पर हमला किया, जिसमें से 50 पूरी तरह नष्ट हो गये और 200 को भारी क्षति पहुँची। 3,500 स्थानों पर तार और टेलीफोन की लाइनों को काटा गया। 70 थाने और 85 दूसरी सरकारी इमारतों को जला दिया गया।'

सरकार का दमन भी उतना ही उग्र रहा। माइकेल ब्रेचर ने लिखा है कि – 'संक्षेप में, सभी जगह सरकारी दमन अत्यधिक कठोर था और 1857 के विद्रेह के पश्चात् भारत में ब्रिटिश राज्य के विरूद्ध सबसे बड़े विद्रोह का सामना करने के लिए पुलिस राज्य स्थापित किया गया।' पंडित नेहरू ने भी लिखा है कि – 'सभी परम्पराएँ और छल–कपट, जो प्रायः शासन के कार्यो को ढंके रहते हैं, उन्हें दूर कर दिया और केवल नग्न शक्ति सत्ता की प्रतीक बन गई।'

सरकार ने अपनी दमन नीति से आन्दोलन को खुले तौर पर तो दबा दिया परन्तु यह आन्दोलन शीघ्र ही भूमिगत हो गया। श्री जयप्रकाश नारायण, डॉ० लोहिया, श्रीमती अरूणा आसिफ अली आदि सामाजवादी नेताओं ने छिपकर आन्दोलन का संचालन किया।

आन्दोलन का महत्त्व –1942 ई० के भारत छोड़ो आन्दोलन का तात्कालिक उद्देश्य भारत को स्वतंत्र कराना था, यद्यपि इस उद्देश्य की प्राप्ति में आन्दोलन सफल न रहा, फिर भी इस आन्दोलन के दूरगामी परिणाम निकले –

1. अगस्त क्रांति ने देश की जनता में असाधारण जागृति उत्पन्न की।

2. जनता में ब्रिटिश शासन का सामना करने की शक्ति में निखार आ गया। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा है कि – 'आन्दोलन के कारण जनता में सरकार का सामना करने के साहस और शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई।'

3. क्रांति का क्षेत्र तथा प्रभाव देशव्यापी था। शासन को स्पष्ट हो गया कि अब जन असन्तोष चरम बिन्दु पर पहुँच गया है। दमन और अत्याचार असंतोष को रोक नहीं पायेंगे। डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि – 'अगस्त क्रांति अत्याचार और दमन के विरूद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था जिसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में बेस्टिले के पतन अथवा सोवियत रूस की अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है।' सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी कहा है कि – 'भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास में इस प्रकार का आन्दोलन कभी नहीं हुआ जैसा कि गत तीन वर्षों में हुआ है। जनता ने जो प्रतिक्रिया की है, उस पर हमें गर्व है।' पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा – '1942 में जो कुछ हुआ उस पर हमें गर्व है... मैं उन लोगों की निन्दा नहीं कर सकता, जिन्होंने इस आन्दोलन में भाग लिया है।'

4. इस आन्दोलन की तीव्रता और शासन के दमन के समाचारों ने स्वयं ब्रिटेन की जनता का 'भारत की स्वाधीनता' के पक्ष में जनमत तैयार किया। दूसरी ओर चीन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल को भारत को शीघ्र ही पूर्ण स्वाधीनता देने के समाचार भेजे। इस प्रकार विदेशों में भी भारत की स्वतंत्रता का वातावरण बनाने में इस आन्दोलन ने भूमिका निभाई।

5. अगस्त आन्दोलन ने भारतीय जनता को 'पूर्ण स्वतंत्रता' का द्वीप प्रज्वलित करने की प्रेरणा दी। डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है –

'1942 के विद्रोह की अग्नि में औपनिवेशक स्वराज्य की बात भस्म हो गयी। भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम के लिए तैयार नहीं था। अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया। वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को महान धक्का था।'

1942 ई० के भारत छोड़ो आन्दोलन की महत्ता इसी से स्पष्ट है कि आन्दोलन के 5 वर्ष बाद ही भारत को स्वतंत्रता मिल गई। इस प्रकार हम कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी आन्दोलन हुए हैं, इन सभी में 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन सबसे महत्त्वपूर्ण आन्दोलन था। ब्रिटिश सरकार को इस आन्दोलन से ज्ञात हो गया कि भारत में अब वे अधिक दिनों तक टिक नहीं सकेंगे।

इस प्रकार हम कह सकते हें कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महात्मा गाँधी के सत्याग्रह का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। गाँधीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन की नब्ज पहचानी और निष्कर्ष निकाला कि भारत को मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता सत्य तथा अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह ही हो सकता है। गाँधीजी का विश्वास था कि हिंसा से प्राप्त हुई आजादी थोड़े दिनों के लिए तो हो सकती है किन्तु वह स्थायी नहीं हो सकती, दूसरी ओर अहिंसा से प्राप्त की गई आजादी स्थायी और शांति कायम करने में सक्षम होगी। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान गाँधीजी की कटु आलोचना भी की गई, किन्तु इससे गाँधीजी पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने लक्ष्य पर डटे रहे और अंततः लक्ष्य प्राप्त करके ही रहे। गाँधीजी के व्यक्तित्व में इतनी आकर्षण क्षमता थी कि सहज ही जनता उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। यहाँ तक कि गाँधीजी के आलोचक भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर गाँधीजी की बात मानने पर मजबूर हो जाते थे। गाँधीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन को जन आन्दोलन बनाया और अपने आन्दोलन में सभी वर्गों को शामिल किया। यहाँ तक कि गाँधीजी के सत्याग्रह में महिलाओं ने भी बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया जिसके परिणास्वरूप देश आजाद हुआ। गाँधीजी के महत्त्वपूर्ण योगदान के कारण ही, राष्ट्र ने उन्हें 'राष्ट्रपिता' की संज्ञा से विभूषित किया।

सन्दर्भ सूची :–

1. इन्द्र विद्यावाचस्पति – भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, 1960
2. शंकर दयाल सिंह – भारत छोड़ो आन्दोलन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,, 2006
3. प्रभात कुमार – स्वतंत्रता संग्राम और गाँधी का सत्याग्रह, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1994
4. आर० सी० अग्रवाल – भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन, एस० चन्द एण्ड कं० लि०, रामनगर, नई दिल्ली, 1980
5. डॉ० अम्बा प्रसाद – द इण्डियन रिवोल्ट ऑफ 1942, एस० चन्द एण्ड कं० लि०, रामनगर, नई दिल्ली, 1958
6. पुखराज जैन – भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास, साहित्य भवन, आगरा, 1981
7. प्रो० सी० पी० शर्मा एवं श्रीमती शशिप्रभा शर्मा – भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास एवं भारतीय संविधान, यूनिवर्सल बुक डिपो, ग्वालियर, 1982

~~**~~